न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आरएएस

अपील संख्या 2018/00001 (03/2018) 225 आरटीएक्ट

मेजरसिंह पुत्र श्री सरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)

——अपीलांट्

बनाम

1. राजसिंह पुत्र वचनसिंह जाति जटसिख नि0 सिलवालाखुर्द तह0 टिब्बी
2. जगसीरसिह पुत्र वचनसिंह जाति जटसिख नि0 सिलवालाखुर्द तह0 टिब्बी
3. हमीरसिंह पुत्र वचनसिंह जाति जटसिख नि0 सिलवालाखुर्द तह0 टिब्बी
4. वीरसिंह पुत्र वचनसिंह जाति जटसिख नि0 सिलवालाखुर्द तह0 टिब्बी
5. नायबसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख नि0 सिलवालाखुर्द तह0 टिब्बी
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

—रेस्पोडेन्ट्स

विरूद्ध आदेश सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी दिनांक 26.12.2017

प्रकरण संख्या 413/2012 बअनवानी मेजरसिंह बनाम राजसिंह आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णयः— दिनांकः— 03.05.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि प्रार्थीया /अपीलान्ट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में पेश किया कि चक 8 एस एस डब्लयु में वादी के पिता के नाम 13 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता 20 बीघा 15 विस्वा, चनन सिंह के नाम 20 बीघा भूमि थी वादी को बंटवारा मं प0नं0 208/309(57) किला नं0 4 व 7 भूमि प्राप्त हुई जिसपर वादी की 50 वर्षो से काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या 5 के पिता ने राजस्व

कर्मचारीयों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत कर कथन किये कि वादी के दादा का नाम भगवान सिंह था। वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि सरजीतसिंह पुत्र मुखत्यार सिंह की थी जो उसने जरिये रजिस्टर्ड तबादला दिनांक 31.05.1967 बहादरराम, मनफूल राम, जयमल राम पिसरान निकूराम को बहिस्सा बराबर तबादला में दे दी जिसका अंकन भी भू–अभिलेख में जरिये इन्तकाल हो चुका है। वादी के पिता सरजीतसिंह का हम प्रतिवादीगण के पिता के साथ कभी भी संयुक्त खाता नही रहा, वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर अपने आपको सरजीतसिंह का पुत्र प्रतिरूपित करते हुए वाद पेश किया है, वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही है अतः वाद खारिज फरमाया जावे। वादी ने उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि उसके कब्जा काश्त में है वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण हासिल न होने के कारण तथा विधि द्वारा वाधित होने के कारण खारिज होने योग्य नही है। वाद–पत्र में जवाब दावा व विवाधक तय होने पर उससे पहले प्रार्थना–पत्र कतई चले काबिल नही है उपरोक्त तथ्य साक्ष्य पेश होने के उपरान्त ही तय किये जा सकते हैं अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा दिनांक 26.12.2017 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी स्वीकार कर वाद–पत्र खारिज किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 वं 188 आर टी ए का प्रस्तुत कर घराघरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की भूमि की घोषणा चाही गई थी जो हर प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय के क्षैत्राधिकार का था। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पैरा संख्या 2 में वर्णित कथनों को रैस्पोडैन्ट ने स्वीकार किया है। रेस्पोडैन्ट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत न कर उक्त प्रार्थना–पत्र ... किया गया है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नही है। अतः अपील

स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से 5 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किये कि वादी ने अपने पिता का नाम सरजीत सिंह होना अंकित किया है वादी के पिता का नाम सरजीत सिंह व दादा का नाम भगवान सिंह था जबकि प्रश्नगत भूमि सरजीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह की थी व यह तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित है उक्त भूमि में वादी अथवा वादी के पिता का कोई हक व अधिकार नही था व है जिस कारण वादी को सरजीतसिंह पुत्र मुखत्यार सिंह की भूमि के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारीता ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है, अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी ए का प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी ने अपना नाम मेजर सिंह व पिता का नाम सरजीत सिंह अंकित किया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात पर्चा खतौनी में में सरजीत सिंह वल्द मुखत्यार सिंह नाम अंकित है, वादी द्वारा उक्त भूमि बंटवारा में प्राप्त होना व उक्त भूमि पर 50 वर्षो से कब्जा होने के कथन किये गये हैं व इसी आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जहां तक प्रतिवादीगण के कथन है कि वादी प्रश्नगत् भूमि के स्वामी का पुत्र नही है व उसे वाद प्रस्तुत करने की अधिकारीता नही है इस सम्बन्ध में ठोस साक्ष्य ली जाकर निर्णय लिया जाना चाहिए। जो तथ्य आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उठाये गये हैं उनका निर्धारण विचारण न्यायायल में उभयपक्ष के साक्ष्य के उपरान्त होना है। ऐसी स्थिति में आदेश नियम 7 सीपीसी में आधार पर वाद को खारिज किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण प्रथम स्टेज पर साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त किये जाने का कोई औचित्य व आधार प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाति एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के निर्णय दिनांक 26.12.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि वे उभयपक्षा को सुनकर विधिनुसार प्रतिवादीगण की जवाबदेही आने के पश्चात विवाद्यक विरचित कर दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर विधिनुसार निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

03/5/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official